

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक/वाद/2018/267

दिनांक:- 27.2.18

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. श्री सिदाराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी हुडों की ढाणी, कोसरिया तह. बायतु जिला बाड़मेर

1. श्री पूराराम पुत्र कानाराम वगैरा 8 निवासी हुडों की ढाणी, कोसरिया तह. बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 135/17

आदेश

मौजा हुडों की ढाणी पटवार हल्का कोसरिया के खेत खसरा नम्बर 459/225 रकबा 38.00 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु/नागाणा पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



कमांक/वाद/2018/268-272

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री सिदाराम पुत्र भैराराम।
4. विप्रार्थीगण श्री पूराराम पुत्र कानाराम वगैरा 8।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु/नागाणा।

(हस्ताक्षर) (S.D.O.)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
दिनांक:- 27.2.18

(हस्ताक्षर) (S.D.O.)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु